भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4810
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चिकित्सा उपकरण उद्योग

4810. श्री बंटी विवेक साहू:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने संबंधी योजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं और इस संबंध में क्या वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

चिकित्सा उपकरण उद्योग के सुदृढ़ीकरण की योजना, 500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ दिनांक 08.11.2024 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरण उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना है, जिसमें प्रमुख घटकों और सहायक उपकरणों का विनिर्माण, कौशल विकास, नैदानिक अध्ययनों के लिए सहायता, साझी अवसंरचना का विकास और उद्योग संवर्धन शामिल है और इसमें निम्नलिखित उप-योजनाएँ शामिल हैं:

(i) चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों के लिए साझी सुविधाएं;
(ii) आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना;
(iii) चिकित्सा उपकरणों क्षेत्र में क्षमता विनिर्माण और कौशल विकास;
(iv) चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना; और
(v) चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना।

प्रत्येक उप-योजना के उद्देश्यों और इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। दिनांक 18.3.2025 की स्थिति के अनुसार, 190 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के प्रावधान से संबंधित प्रस्तावों को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

अनुलग्नक

श्री बंटी विवेक साहू द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 28.3.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4810 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

चिकित्सा उपकरण उद्योग के सुदृढ़ीकरण की योजना की उप-योजनाओं के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं

1. <u>चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों के लिए साझी सुविधाएं</u>

उद्देश्य:

(क) मौजूदा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना; और

(ख) चिकित्सा उपकरणों को लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत लाने की पृष्ठभूमि, जिसके लिए विनिर्माताओं की ओर से चिकित्सा उपकरणों का मूल्यांकन करना आवश्यक है, में चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाओं/प्रयोगशालाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना

मुख्य विशेषताएं:

(क) साझी अवसंरचना सुविधाएं सृजित करने, घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने और क्लस्टर गुणवत्ता में सुधार के लिए चिकित्सा उपकरण समूहों को वित्तीय सहायता का प्रावधान

(ख) चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने या उन्हें सशक्त करने के लिए किसी भी राष्ट्रीय या राज्य स्तर की सरकारी या निजी संस्था को सहायता का प्रावधान

2. <u>आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना</u>

उद्देश्य: चिकित्सा उपकरणों के आयात को कम करना

मुख्य विशेषताएं: चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के लिए आवश्यक/मुख्य विशेष इनपुट/घटकों, अपस्ट्रीम सामग्रियों, सहायक उपकरणों या उनसे संबंधित उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान के रूप में सीमांत निवेश सहायता का प्रावधान, जिन्हें सामान्य उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है और जिन्हें अक्सर चिकित्सा उपकरण विनिर्माताओं द्वारा आयात किया जाता है।

3. <u>चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में क्षमता विनिर्माण और कौशल विकास</u>

उद्देश्य: चिकित्सा प्रौद्योगिकी के तेजी से नवप्रवर्तनशील बहुविषयक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन का महत्वपूर्ण समूह तैयार करके इस क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र का विनिर्माण करना।

मुख्य विशेषताएं : चिकित्सा प्रौद्योगिकी शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षण, प्रशिक्षण और उत्कृष्टता के संपोषण का सहयोग करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान

4. <u>चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना</u>

उद्देश्य: बेहतर प्रभावकारिता और सुरक्षा के साथ गुणवत्ता वाले उत्पादों के विनिर्माण का संवर्धन और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने के लिए घरेलू विनिर्माताओं की विश्वसनीयता बढ़ाना और विदेशी बाजारों में उनके लिए अवसर खोलना

मुख्य विशेषताएं: चिकित्सा उपकरणों के लिए नैदानिक जांच या पूर्व-नैदानिक पशु अध्ययन करने और नए इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स के नैदानिक प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान

5. <u>चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना</u>

उद्देश्य: उद्योग के अग्रणियों, शिक्षाविदों और नीति विनिर्माताओं को क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए एक साथ लाकर चिकित्सा उपकरण उद्योग का संवर्धन

मुख्य विशेषताएं:
(क) उद्योग निकायों/संघों और शैक्षणिक संस्थानों को बैठकें, सेमिनार, कार्यशालाएं, कार्यक्रम, रोड शो, एक्सपो आदि आयोजित करने के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता;

(ख) चिकित्सा उपकरण उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए विनिर्माता मूल्यांकन अध्ययन, डेटाबेस विनिर्माण, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन मिशन आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है; और

(ग) उद्योग विकास गतिविधियों पर विभाग द्वारा व्यय।

*****